

  
सममेव जगते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2013/ज्येष्ठ 1, 1935

No. 153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2013/JYAISTHA 1, 1935

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2013

संख्या 28-22/2012 आयु. (पी.जी.डी.)—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के नियमन के लिए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2010 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. लघु षीर्षक और प्रारम्भ—

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2013 कहा जाएगा।
- (2) वे उनके कार्यालय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2010 में—

(i) परीक्षक संबंधी विनियम 12 में, उप-विनियम (2) हेतु निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“(2) परीक्षक रीडर अथवा सह-आचार्य के पद से कम का नहीं होना चाहिए।”

(ii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के अधिकार और विशेषाधिकार संबंधी विनियम 14 को छोड़ दिया जाएगा।

के. नटराजन, निबन्धक-सह-सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असाधारण/124/13]

टिप्पणी:—मुख्य विनियम अधिसूचना संख्या 28-22/2009 आयु. (पी.जी.डी.) दिनांक 13 जुलाई, 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।

\* अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

## CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2013

**No.28-22/2012-Ay(PGD).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Diploma Course) Regulations, 2010, in order to regulate the Post-graduate Diploma course of Ayurveda, namely:—

#### 1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Diploma Course) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. In the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Diploma Course) Regulations, 2010,-

(i) in regulation 12 relating to Examiner, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) The examiner should not be less than the post of Reader or Associate Professor.”

(ii) regulation 14 relating to rights and privileges of PG Diploma Holders shall be omitted.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT-III/4/Exty./124/13]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number 28-22/2009-Ay(PGD), dated the 13th July, 2012.

\*If any discrepancy is found between Hindi and English version of the "Indian Medicine Central Council (Post-graduate Diploma Course) Amendment Regulations, 2013" the English version will be treated as final.